न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2017/00295

1. दयाराम
2. महावीर पिसारान जयकिशन जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम विजयपुर तहसील सांगोद जिला कोटा ।
3. जयकिशन आत्मज श्री कालूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम विजयपुर तहसील सांगोद जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

काली बाई पुत्री स्वर्गीय नाथूलाल पत्नी श्री प्रभूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम विजयपुर तहसील सांगोद जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री प्रदीप मेहरा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 29.09.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 एवं 209 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम विजयपुर तहसील सांगोद की आराजी खसरा नम्बर 45 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 63 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 64 रकबा 3.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 115 रकबा 2.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.89 हैक्टर कुल 07 किता की रकबा 6.93 हैक्टर भूमि स्थित

है । उक्त भूमि वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि अन्य सहखातेदारान के सहखातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि में वादिनी का 1/8 हिस्सा सहखातेदारी में दर्ज है । वादिनी को उसके पिता नाथूलाल के स्वर्गवास के बाद विरासतन प्राप्त हुई है । वादिनी द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में विभाजन का दावा पेश किया हुआ है जो विचाराधीन है । विभाजन के दावे के विचाराधीन होने के दौरान ही अन्य सहखातेदारान से बिना विभाजित हिस्से की आराजी खसरा नम्बर 145 रकबा 0.89 हैक्टर आराजी में 3/4 हिस्सा आराजी प्रतिवादीगण क्रम 1 से 3 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.07.2012 को क्रय कर ली है । उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादीगण क्रम 1 से 3 का नामान्तरकरण संख्या 125 दिनांक 06.08.2012 को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है । उक्त नामान्तरकरण के आधार पर प्रतिवादीगण क्रम 1 से 3 वादिनी को उसके हिस्से की आराजी खसरा नम्बर 145 रकबा 0.89 हैक्टर से ताकत के बल पर बेदखल कर वादिनी के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । वादिनी द्वारा प्रतिवादीगण क्रम 1 से 3 के खिलाफ पुलिस में भी कार्यवाही गई थी । वादिनी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण क्रम 1 से 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

3. अतः वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर वादिनी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 से 3 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादिनी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 145 रकबा 0.89 हैक्टर से प्रतिवादीगण क्रम 1 से 3 वादिनी को ताकत के बल पर बेदखल नहीं करे तथा वादिनी के शांतिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण क्रम 1 से 3 वादिनी को उक्त भूमि से बेदखल कर दें तो उन्हें बेदखल किया जाकर वापस कब्जा पुनः वादिनी को दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2016 के द्वारा दावा वादिनी स्वीकार कर डिक्री कर दिया और प्रतिवादीगण क्रम 1 से 3 को विभाजन के दावे का निस्तारण होने तक वादिनी के हिस्से की आराजी में मदाखलत व मजाहमत नहीं करने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि प्रतिवादीगण अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के 3/4 हिस्से के सहखातेदार हैं । वादिनी रेस्पोडेन्ट 1/8 हिस्से की सहखातेदार है। राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्टगण सहखातेदार हैं और सहखातेदार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित नहीं की जा सकती । प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश नही किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी की बहस में नियत था । बिना अपीलान्टगण को सूचना दिये इसे लोक अदालत में रखा गया और अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में वादिनी का वाद डिक्री किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को सूचना दिये बिना उनकी अनुपस्थिति में लोक अदालत में निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.06.2017 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर उनके द्वारा नकल का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 13.06.2017 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी रेस्पोडेन्ट के द्वारा एक दावा स्थायी निषेधाज्ञा का प्रतिवादी अपीलान्ट के विरूद्ध पेश किया था इसे डिक्री किया गया । प्रतिवादी अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी में 3/4 हिस्से के सहखातेदार हैं और वादिनी रेस्पोडेन्ट 1/8 हिस्से की सहखातेदार है । सहखातेदार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित नहीं की जा सकती । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 के तहत पेश किया गया था जिसकी बहस हेतु पत्रावली नियत थी । दिनांक 23.05.2016 के बाद कोई तारीख नहीं दी गई । अपीलान्ट की ओर से जवाबदावा भी प्रस्तुत किया नहीं किया गया था और लोक अदालत में रखा जाकर डिक्री किया गया । अपीलान्ट को लोक अदालत की कोई जानकारी नहीं दी गई । अपीलान्टगण के द्वारा न तो कोई राजीनामा किया गया और न ही अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए थे । धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार वादिनी का दावा मेन्टेनेबल नहीं था । वादग्रस्त आराजी के बाबत् रेस्पोडेन्ट वादिनी का विभाजन एवं स्थायी का दावा विचाराधीन है जिसके लम्बित रहते हुए यह नया दावा डिक्री किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । शपथ पत्र पर 03 व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं, शपथ पत्र न तो प्रमाणित है न ही शपथग्रहिताओं की पहचान की गई है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2016 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2015 (2) पेज 990, एआईआर (एससी) 2011 पेज 10, 1998 आरबीजे (5) पेज 466, आरआरडी 1998 पेज 638 उद्वरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पैतृक है जिसमें वादिनी का 1/8 हिस्सा निहित है । वादिनी ने विभाजन का दावा भी पेश किया हुआ है जो लम्बित है । दावे के लम्बित रहने के दौरान प्रतिवादीगण ने 3/4 हिस्सा अन्य सहखातेदारों से क्रय किया है । प्रतिवादीगण ताकत के बल पर वादिनी के खाते एवं कब्जे की आराजी पर वादिनी के कब्जे में हस्तक्षेप करने पर आमादा हैं । इस कारण वादिनी को यह दावा पेश करना पडा । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में विधि सम्मत रूप से वादिनी का वाद डिक्री किया है । अपील विलम्ब से पेश की गई है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया गया है । अपील में दिनांक 10.06.2016 को निर्णय और डिक्री की जानकारी हो जाने का कथन किया है, जानकारी हो जाने के बावजूद अपील दिनांक 29.06.2017 को पेश की है जो विलम्ब से है । अतः अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने एवं गुणावगुण पर सारहीन होने

से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2016 बहाल रखा जावे ।

10. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने रिबटल में कथन किया कि जानकारी दिनांक 10.06.2017 को ही हुई थी । अपील मीमो में त्रुटिवश दिनांक 10.06.2016 अंकित की गई है । धारा 05 के शपथ पत्र एवं शपथ पत्र में सही तिथि अंकित की गई है ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली आदेश 01 नियम 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के बहस में लम्बित थी इसमें दिनांक 23.05.2016 की तारीख दी गई थी इसके बाद की कोई आदेशिका पत्रावली पर अंकित नहीं है और दिनांक 31.05.2016 के निर्णय के अनुसार लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है । पक्षकारों के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है और लोक अदालत में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । निर्णय में पक्षकारान के बयान दर्ज किये जाने का उल्लेख किया गया है । पत्रावली पर पृष्ठ संख्या 35 से लेकर पृष्ठ संख्या 37 तक कुछ बयान संलग्न किये गये हैं । ये बयान जयकिशन प्रतिवादी संख्या 03, काली बाई वादिनी, महावीर प्रतिवादी कम 02 और दयाराम प्रतिवादी कम 01 के प्रतीत होते हैं परन्तु इनमें हर बयान में एक से अधिक व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं और वो किन के हस्ताक्षर हैं यह स्पष्ट नहीं किया गया है । शपथ पत्र प्रमाणित नहीं है । पत्रावली पर जो नकल जमाबन्दी संलग्न है इसमें वादी एवं प्रतिवादी के अलावा अन्य सहखातेदार दर्ज हैं जिनको पक्षकार नहीं बनाया गया है और धारा 188 के दावे में धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार समस्त सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है । आरबीजे 1998 (5) पेज 466 यहॉ चस्पा होता है । इस दृष्टि से भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

13. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 09.11.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 29.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29.9.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा